राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1495/2023

डॉ. सत्येन्द्र सिंह नोरावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (जन स्वास्थ्य), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जरिये अधिकारी प्रभारी, अकलेरा, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.06.2023
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती वर्तिका मेहरा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 102/2020 अन्तर्गत धारा 167, 195 एवं 120बी भारतीय दण्ड सहिता में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर इनके विरूद्ध विभागीय आदेश दिनांक 23.01.2023 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित कर दिया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी। उसके पश्चात् उसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। सम्पूर्ण सेवाकाल में उसका कार्य अतिउत्तम रहा और कोविड काल में भी उसने सराहनीय कार्य किया गया ,जिस संबंध में उसे प्रशंसा पत्र भी दिया गया है। लेकिन उसे बिना उचित कारण के निलम्बित किया गया है। निलम्बित किए जाने का कोई भी विधिक आधार उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने वर्तमान अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि चुनौती निलम्बन आदेश दिनांक 08.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा

स्थगन प्रार्थना पत्र में मांग की है कि चुनौती आदेश 08.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपील के निर्णय तक स्थगित किया जावे।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध स्थगन प्रार्थना पत्र पर दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2023 (अनुलग्नक–1), जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया इसमें अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 102/2020 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में प्रकरण दर्ज होने का अंकन है और प्रकरण धारा 167, 195 एवं 120बी भारतीय दंड सहिता के अन्तर्गत दर्ज होना अंकित है। जबकि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रकरण संख्या 102/2020 पुलिस थाना अकलेरा, झालावाड़ में अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 195, 342, 120बी भारतीय दंड संहिता में दर्ज है (अनुलग्नक–8) और इस प्रकरण का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों से कोई संबंध नहीं है और अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग द्वारा दिनांक 22.03.2023 को एक परिपत्र जारी कर लोक सेवकों के विरूद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरणों में निलम्बन और निलम्बन से बहाली के संबंध में निर्देश जारी किए है, परिपत्र का बिन्दु सी इस प्रकरण में लागू होता है। चूंकि प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को निलम्बन से बहाली हेतु प्रकरण समस्त तथ्यों सहित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जाकर समुचित निर्णय लिया जावे और यह कार्यवाही निर्णय से एक माह की अवधि में सम्पादित की जावे। तद्नुसार इसी प्रक्रम पर अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य